

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 864 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, सितम्बर 15 / 2022।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:-

Forest proposal under Forest (conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non-forest purpose for the project" Development of 4/6 lane Ayodhya Bypass Total length of 67.572 kms (package 1 Northent Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 139+928 of NH-28 and Package 2 Southern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 153+281 of NH-28) UNDER nhdp Phase-VII in the State of utter Pradesh से प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ:-

प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/151936/2022।
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 999/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/151936/2022 दिनांक 14.09.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या का पत्रांक-1035/14-4 दिनांक 15-09-2022।

नहोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का निराकरण करके चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में (मय पेनड्राइव के साथ) संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पू०सं० 864/उक्त दिनांक।

- 1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।
- 2- प्रतिलिपि- जी०एम०(टेव०)/प्रोजेक्ट डॉरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कमला भवन, हनुमन्त पुरम निकट त्रिपुरा चौराहा रायबरेली, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अयोध्या

पत्रांक

1035

/14-4 दिनांक:अयोध्या:

15/09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय:-

Forest Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980 for the diversion of forest land for non- forest purpose for the project "Development of 4/6 Lane Ayodhya Bypass Total length of 67.572 kms (package 1 Northern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 139+928 of NH-28 and Package 2 Southern Ayodhya Bypass starting at km 112+540, ending at km 153+281 of NH-28) under NHDP Phase-VII in the State of Uttar Pradesh से प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाना।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 999/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ दिनांक 14.09.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 855/19-10 दिनांक 15.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं प्रयोक्ता विभाग सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन व हार्डकापी में संसोधित कर प्रस्ताव एवं सीडी एवं पेन ड्राइव सहित चार प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है:-

क्रम सं०	कमियाँ/अभिलेख	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः सही एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को संसोधित कर, संसोधित एन0पी0वी0 की गणना को प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में भू-स्वामित्य विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः भू-स्वामित्य विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	भू-स्वामित्य विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पुनः उपलब्ध कराया गया मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4.	हार्डकापी भाग-2 के क्रमांक-10(4) में CA की धनराशि गलत अंकित है। अतः सही धनराशि अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें तथा Additional Information Detail से	हार्डकापी भाग-2 के क्रमांक-10(4) में CA की सही धनराशि अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा Additional Information Detail से डिलिट कर

भेजा
03/09/2022

बसंत

15/9/2022

	डिलिट कर संशोधित हार्डकापी भाग-2 में यथास्थान तथा आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में भी अपलोड करें।	संशोधित हार्डकापी भाग-2 में यथास्थान तथा आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में भी अपलोड कर दिया गया है।
5.	उपरोक्त कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि-जी0एम0(टेक0)/प्रोजेक्ट डॉरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कमला भवन, हनुमन्त पुरम निकट त्रिपुला चौराहा रायबरेली, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।